न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 21/2020

अनुवान बजरंगलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 22.02.2021

1. बजरंगलाल पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान मो.नं. 7742781349
2. भालचन्द पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. रामनिवास पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. सीता पुत्री बीरूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादीगण–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमियां ख0 नं0 10, 104, 109, 11, 200, 42, 43 रकबा क्रमशः 3.4300, 2.1600, 2.9000, 4.0500, 1.7800, 0.0200, 6.0000 हैक्टेयर रोही मौजा भैरूसर, कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर, कृषि भूमि ख0 नं0 2, 29, 3 तादादी क्रमशः 2.6600, 12.3300, 0.2500 हैक्टेयर रोही काकलासर तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम बीरूराम अशुद्ध दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का शुद्ध नाम बीरूराम है। वादी सं0 2 का नाम कृषि भूमि ख0 नं0 [illegible] रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर में मालचन्द अशुद्ध दर्ज है जबकि वादी सं0 2 का शुद्ध नाम भालचन्द है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested

वादगत कृषि भूमियों में वादीगण के पिता का नाम बीरूराम के स्थान पर बीरबलराम राजस्व कर्मचारियों की सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपने पिता का नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॅार्ड शुद्ध दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण के पिता का नाम उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भामाशाह एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में बीरूराम अंकित है। जो कि सत्य व सही है। बीरबलराम नाम वादीगण के पिता का वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज वादीगण के पिता का नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है।

वादीगण के पिता का वास्तविक नाम बीरूराम पुत्र गणपतराम है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में बीरबलराम पुत्र गणपतराम अंकित होने से वादीगण को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॅार्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीगण को करना पड़ता है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम बीरबलराम के स्थान पर सही नाम बीरूराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादीगण को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादीगण प्रतिवादी से मिले और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीगण के पिता का नाम बीरबलराम के स्थान पर सही नाम बीरूराम दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमियां रोही भैंरूसर, देराजसर, काकलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर कृषि भूमियां ख0 नं0 10, 104, 109, 11, 200, 42, 43 रकबा क्रमशः 3.4300, 2.1600, 2.9000, 4.0500, 1.7800, 0. 0200, 6.0000 हैक्टेयर रोही मौजा भैरूसर, कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर, कृषि भूमि ख.नं. 2, 29, 3 [illegible] 2.6600, 12.3300, 0.2500 हैक्टेयर रोही काकलासर तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में [illegible]धन कर वादीगण के पिता का नाम बीरबलराम के स्थान पर सही व शुद्ध [illegible], रामनिवास, सीता पुत्रगण एवं पुत्री बीरूराम दर्ज करने एवं कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 2 का नाम मालचन्द पुत्र बीरबलराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम भालचन्द पुत्र बीरूराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके वादीगण के पिता का नाम बीरबलराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीगण के पिता का सही नाम बजरंगलाल, भालचन्द, रामनिवास, सीता पुत्रगण एवं पुत्री बीरूराम व वादी सं0 2 का नाम मालचन्द पुत्र बीरबलराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम भालचन्द पुत्र बीरूराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है एवं वादीगण के सह–खातेदार शीशराम एवं रूकाराम ने शपथ पत्र पेश किया जिसके अनुसार बीरबलराम का शुद्ध नाम बीरूराम और वादी स0 2 का नाम मालचन्द पुत्र बीरबलराम के स्थान पर भालचन्द पुत्र बीरूराम किया जाता हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 10, 104, 109, 11, 200, 42, 43 की छायाप्रति।
2. जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 2, 29, 3 की छायाप्रति।
3. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 376 की छायाप्रति।
4. भामाशाह कार्ड की छायाप्रति (ज्याना देवी)।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अंकतालिका सहित माध्यमिक परीक्षा की छायाप्रति (भाल चन्द, राम निवास) ।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अंकतालिका सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (भाल चन्द, सीता) की छायाप्रति।
7. वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति (भाल चन्द, राम निवास, सीता, बजरंग लाल)।
8. मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (बीरूराम)।
9. बैंक पासबुक की छायाप्रति (रामनिवास पुनिया)।
10. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (सीता, बजरंगलाल, रामनिवास, बीरू राम)।
11. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति (बजरंगलाल)।
12. वादी के बी.पी.एल कार्ड व जॉब कार्ड की छायाप्रति।
13. भामाशाह के एक्नॉलेजमेन्ट स्लिप की छायाप्रति (ज्याना देवी, विनोद)।
14. कार्यालय ग्राम पंचायत, खींवणसर पं. स. सरदारशहर का प्रमाण पत्र।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम बीरूराम व वादी स0 02 का नाम भालचन्द पुत्र बीरूराम अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं [illegible] पाया जाता हैं अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि [illegible] नं0 10, 104, 109, 11, 200, 42, 43 रकबा क्रमशः 3.4300, 2.1600, 2.9000, 4.0500, [illegible]00, 0.0200, 6.0000 हैक्टेयर रोही मौजा भैरूसर, कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर, कृषि भूमि ख.नं. 2, 29, 3 तादादी क्रमशः 2.6600, 12.3300, 0.2500 हैक्टेयर रोही काकलासर तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादीगण के पिता का नाम बीरबलराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम

बजरंगलाल, भालचन्द, रामनिवास, सीता पुत्रगण एवं पुत्री बीरूराम दर्ज करने एवं कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 2 का नाम मालचन्द पुत्र बीरबलराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम भालचन्द पुत्र बीरूराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	भैरूसर	10, 104, 109, 11, 200, 42, 43	बजरंगलाल पुत्र बीरबलराम, भालचन्द पुत्र बीरबलराम, रामनिवास पुत्र बीरबलराम, सीता पुत्री बीरबलराम	बजरंगलाल पुत्र बीरूराम, भालचन्द पुत्र बीरूराम, रामनिवास पुत्र बीरूराम, सीता पुत्री बीरूराम
2.	काकलासर	2, 29, 3		
3.	देराजसर	376	मालचन्द पुत्र बीरबलराम	भालचन्द पुत्र बीरूराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 21/2020
अनुवान बजरंगलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमियां ख0 नं0 10, 104, 109, 11, 200, 42, 43 रकबा क्रमशः 3.4300, 2.1600, 2.9000, 4.0500, 1.7800, 0.0200, 6.0000 हैक्टेयर रोही मौजा भैरूसर, कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर, कृषि भूमि ख.नं. 2, 29, 3 तादादी क्रमशः 2.6600, 12.3300, 0.2500 हैक्टेयर रोही काकलासर तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादीगण के पिता का नाम बीरबलराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम बजरंगलाल, भालचन्द, रामनिवास, सीता पुत्रगण एवं पुत्री बीरूराम दर्ज करने एवं कृषि भूमि ख0 नं0 376 रकबा 18.8200 हैक्टेयर रोही देराजसर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 2 का नाम मालचन्द पुत्र बीरबलराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम भालचन्द पुत्र बीरूराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत....................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested